धर्मात्मा सिंह

बनाम

हरमिन्द्र सिंह व अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1126/2011)

मई 10, 2011

(आर.वी. रविन्द्रन आर ए.के. पटनायक, जेजे.)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 173 (2),(8) और 482- अन्वेषण की समाप्ति पर पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट- मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान-क्षेत्र-अनुसंधान की समाप्ति के पश्चात् पुलिस ने दो आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये, एक अंतर्गत धारा 452, 323, 326, 506 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में अपीलार्थी व अन्य के विरूद्ध और दूसरा आरोप पत्र अंतर्गत धारा 342, 323, 324, 148 भारतीय दण्ड संहिता में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 और अन्य के विरूद्ध-अग्रिम अनुसंधान के पश्चात् अग्रिम रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक द्वारा यह कहते हुये प्रस्तुत की गई कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी व अन्य को अपनी आत्मरक्षा में चोटें कारित की हैं, इसलिए उसके विरूद्ध दायर मामला खारिज किया जावे-उक्त रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को प्रेषित की गई, जिन्होंने यह राय दी कि इसका निर्णय न्यायालय पर ही छोड़ दिया

जावे-तथापि, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपने विरूद्ध संस्थित दाण्डिक कार्यवाहियों को खारिज करने हेतु अंतर्गत धारा 482 उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की-याचिका उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई- अपील में अभिनिर्धारित किया गया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार उक्त अग्रिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की जावे और धारा 173 के खण्ड 2 और 8 के तहत यह मजिस्ट्रेट पर है कि वह रिपोर्ट में कथित तथ्यों पर अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग अपीलार्थी की आपत्ति को सुने जाने के पश्चात् करे और यह मत तय करे कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाये अथवा नहीं - मजिस्ट्रेट धारा 173 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के गुणावगुण पर अपना मस्तिष्क लागू नहीं करे - उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 482 शक्तियों का प्रयोग अंतर्वती स्तर पर किया गया था और जो कि वांछित नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दी गई सूचना पर अपीलार्थी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 452, 324, 323, 506, 326 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत की गई। अपीलार्थी द्वारा पुलिस को घटना का अलग वृतांत दिया गया। अनुसंधान के पश्चात् पुलिस द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दो आरोप पत्र प्रस्तुत किये गए, पहला अपीलान्ट, उसके पिता एम.एस. और पी.एस. के विरूद्ध कि उन्होंने अंतर्गत धारा 452, 323, 326, 506

सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किया है और दूसरा प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व अन्य के विरूद्ध कि उन्होंने अंतर्गत धारा 342, 323, 324, 148 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किया है। अभियोजन की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अग्रिम अनुसंधान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अग्रिम अनुसंधान की अनुमति दी गई। अग्रिम अनुसंधान किया गया। पुलिस अधीक्षक ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी व अन्य को अपनी आत्मरक्षा में कुछ उपहतियां कारित की हैं और इसलिए उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जानी चाहिए और प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध दर्ज प्रति-मुकदमा खारिज किया जाना चाहिए। उक्त रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को प्रेषित की गई, जिन्होंने यह राय दी कि इसका निर्णय न्यायालय पर ही छोड़ दिया जावे। हालांकि इससे पहले कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपने विवेक का प्रयोग कर कोई निर्णय मूल आरोप पत्र पर प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विरूद्ध और अग्रिम अनुसंधान की रिपोर्ट, जो इनके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त किये जाने के संबंध में प्रस्तुत की गई थी, के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अंतर्गत धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता उच्च न्यायालय में डीडीआर को और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अपने विरूद्ध आरोप पत्र को खारिज करने की याचिका प्रस्तुत की गई। उच्च न्यायालय द्वारा डीडीआर के अनुक्रम में संस्थित दाण्डिक कार्यवाहियों को अपास्त किया गया। इसलिए अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की

गई।

न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि -

1.1. धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता का खण्ड 2 यह उपबंधित करता है कि जैसे ही अनुसंधान पूर्ण होगा, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इसकी रिपोर्ट ऐसे अपराध पर प्रसंज्ञान लेने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट को इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत की जावेगी कि क्या कोई अपराध कारित किया गया है और यदि किया गया है तो किसके द्वारा। धारा 173 का खण्ड 8 यह उपबंधित करता है कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, जो अग्रिम साक्ष्य मौखिक या दस्तावेजी प्राप्त करता है, वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अग्रिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट के संबंध में धारा 173 खण्ड 2 के प्रावधान उसी अनुसार लागू होंगे, जैसे खण्ड 2 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं। इसलिए धारा 173 के खण्ड 2 के तहत प्रारम्भिक अनुसंधान के पश्चात् रिपोर्ट और धारा 173 खण्ड 8 के तहत अग्रिम अनुसंधान के पश्चात् रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट की श्रेणी के अर्थाें की ही होंगी और जिन्हें ऐसे अपराध का प्रसंज्ञान लेने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। धारा 190 खण्ड-बी दण्ड प्रक्रिया संहिता से यह स्पष्ट है कि वह मजिस्ट्रेट ही है, जो ऐसी पुलिस रिपोर्ट, जिसके तथ्य किसी अपराध का गठन करते हैं पर प्रसंज्ञान लेने हेतु सशक्त है। इसलिए जब धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के खण्ड 2 या खण्ड

8 के तहत कोई पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाती है वहां मजिस्ट्रेट ऐसी पुलिस रिपोर्ट पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर यह मत लेगा कि क्या किसी अभियुक्त के विरूद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाये या नहीं। जहां धारा 173 खण्ड 2 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट यह व्यक्त करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया गया है, परन्तु अंतर्गत धारा 173 खण्ड 8 दण्ड प्रक्रिया संहिता अग्रिम अनुसंधान के पश्चात् अग्रिम रिपोर्ट यह व्यक्त करती है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है, वहां यह मजिस्ट्रेट पर है कि वह यह तय करे कि ऐसी दो रिपोर्टों के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध कारित किया जाना बनता है। (पैरा 9 और 10)(367-जी-एच, 368-ए-जी)

1.2. धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता उच्च न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने को अंतर्निहित शक्तियां प्रदत्त करती है जो इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के लिए या अन्यथा न्याय की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। (पैरा 13)(370-सी)

आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1960 सुप्रीम कोर्ट 866 का संदर्भ दिया गया।

2. इस प्रकरण के तथ्यों के अनुसार पुलिस द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 02.02.2006 को दो आरोप पत्र प्रस्तुत किए गये, पहला

अपीलान्ट, उसके पिता एम.एस. और पी.एस. के विरूद्ध कि उन्होंने अंतर्गत धारा 452, 323, 326, 506 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किया है और दूसरा प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व अन्य के विरूद्ध कि उन्होंने अंतर्गत धारा 342, 323, 324, 148 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किया है। दिनांक 27.07.2006 को अग्रिम अनुसंधान की मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अनुमति के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा एक अग्रिम रिपोर्ट यह व्यक्त करते हुये प्रस्तुत की गई कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी व अन्य को अपनी आत्मरक्षा में चोटें कारित की है और इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रति-मुकदमा खारिज किया जाना चाहिए। उक्त अग्रिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की जानी चाहिए और धारा 173 के खण्ड 2 और 8 के तहत यह मजिस्ट्रेट पर है कि वह रिपोर्ट में कथित तथ्यों पर अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग अपीलार्थी की आपत्ति को सुने जाने के पश्चात् करे और यह मत तय करे कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाये अथवा नहीं। जैसा कि धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के गुणावगुण पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है, हस्तगत प्रकरण के तथ्यों में उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपनी शक्तियों का अंतर्वती स्तर पर प्रयोग किया गया और जो कि वांछित नहीं था। इसलिए आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया है। पुलिस, पुलिस अधीक्षक की अग्रिम रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करे और मजिस्ट्रेट पूर्व में प्रस्तुत पुलिस

रिपोर्ट और इस अग्रिम रिपोर्ट पर अपीलार्थी की आपत्तियां, यदि कोई हों, को सुनते हुए विधि के अनुरूप अंतिम निर्णय ले। (पैरा 12 से 14)(369-एफ-एच, 370-ए-बी, 371-ई-जी)

अभिनंदन झा व अन्य बनाम दिनेश मिश्रा एआईआर 1968 सुप्रीम कोर्ट 117, श्रीमती रूपन देओल बजाज व अन्य बनाम कंवरपाल सिंह गिल व अन्य एआइआर 1996 सुप्रीम कोर्ट 309 - अवलम्ब लिया गया।

न्यायिक दृष्टांत:

एआईआर 1968 सुप्रीम कोर्ट अवलम्ब लिया गया पैरा 12

एआईआर 1996 सुप्रीम कोर्ट अवलम्ब लिया गया पैरा 12

एआईआर 1960 सुप्रीम कोर्ट अवलम्ब लिया गया पैरा 13

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता। आपराधिक अपीलीय याचिका संख्या 1126/2011।

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चंदीगढ़, आपराधिक विविध याचिका संख्या 10664/2007 निर्णय व आदेश दिनांक 25.03.2008, द्वारा

डी.पी. सिंह और संजय जैन, अपीलार्थी की ओर से।

सुनील भट्ट, एस.एस. राय, राखी राय, अनिल ग्रोवर, नुपूर सिंघल और कुलदीप सिंह, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय ए.के. पटनायक, जे. द्वारा दिया गया। अनुमति दी गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दाण्डिक विविध नं. 10664-एम वर्ष 2007 के आदेश दिनांक 25.03.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाहियां खारिज की गई हैं।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.12.2004 को पुलिस थाना सदर, जिला लुधियाना में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 276 प्रत्यर्थी सख्या 1 के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 452, 323, 324, 506, 326 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोप यह थे कि 12.12.2004 को लगभग सुबह 8 बजे प्रत्यर्थी संख्या 1 और उसकी माता अपने भूखण्ड पर थे और जब वे मिस्त्री और मजदूरों में उक्त प्ला ॅट पर दीवार बनाने के लिए व्यस्त थे, तब अपीलार्थी अन्य व्यक्तियों के साथ हथियारों से सुसज्जित होकर आये और प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसकी माता के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और जिस कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसकी माता को चोटें कारित हुई और वे अस्पताल में भर्ती हुए। दिनांक 13.12.2004 को अपीलार्थी ने दिनांक 12.12.2004 के घटनाक्रम के संबंध में भिन्न वृतांत दिया कि वह अपने पिता मोहनसिंह के साथ भूखण्ड पर

पहुंचा तो देखा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 अन्य व्यक्तियों के साथ भूखण्ड पर दीवार बना रहे थे और जब मोहनसिंह ने मिस्त्री को यह कहते हुये रोका कि यह भूखण्ड विवादित है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2 ने सभी को ललकारा, जिन्होंने मोहनसिंह पर हमला कर दिया और अपीलार्थी ने उनके चोटें कारित की, इस पर वे अस्पताल में भर्ती हुए। अनुसंधान के पश्चात् पुलिस ने 02.02.2006 को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट लुधियाना के समक्ष दो आरोप पत्र प्रस्तुत किए। एक में आरोप पत्र अपीलार्थी, उसके पिता मोहनसिंह और भूपेन्द्र सिंह के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 452, 323, 326, 506 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत व दूसरा आरोप पत्र अंतर्गत धारा 342, 323, 324, 148 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। 22.03.2006 को प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा पंजाब को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके अनुसरण में अभियोजन ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लुधियाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.2006 को अग्रिम अनुसंधान की अनुमति दिये जाने हेतु पेश किया और दिनांक 27.07.2006 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लुधियाना द्वारा अभियोजन को इसकी अनुमति दी गई।

4. अग्रिम अनुसंधान के बाद पुलिस अधीक्षक शहर द्वितीय, लुधियाना ने उप-महानिरीक्षक पुलिस, लुधियाना रेंज को अपनी रिपोर्ट पेश की। पुलिस

अधीक्षक शहर द्वितीय, लुधियाना, जो अग्रिम अनुसंधान के पश्चात् उनके निष्कर्ष को अंतर्वलित करती है, का सुसंगत भाग निम्नानुसार है:-

> "मैंने अपने अनुसंधान में पाया कि मोहनसिंह पुत्र श्री शेरसिंह, धर्मात्मा सिंह, हरपाल सिंह, जगदेव सिंह और भूपेन्द्र सिंह, पुत्रगण मोहनसिंह, निवासीगण-पुलांवल ने एक भूखण्ड 1 कनाल 13 मरला का दिनांक 09.03.2004 को भरपूर सिंह, हरनेक सिंह पुत्रगण बलवीर सिंह, जगजीत सिंह पुत्र अमरजीत सिंह, गुरचरण सिंह पुत्र हरिदास और जगदेव सिंह पुत्र हरपाल सिंह, निवासीगण-पुलांवल को पंजीकृत विक्रय वसीखा नं. 23895 के द्वारा बेचा था और इसका नामांतरण संख्या 10940 क्रेता पक्ष के नाम से विधिवत दर्ज हो गया। क्रेता पक्ष हरमिन्द्र सिंह उर्फ हेन्दरी पुत्र श्री हरनेक सिंह दिनांक 12.12.2004 को मिस्त्री और मजदूरों को नियोजित कर इस भूखण्ड पर चारदीवारी निर्मित कर रहा था तो उस दौरान धर्मात्मा सिंह, भूपिन्द्र सिंह पुत्रगण मोहनसिंह और मोहनसिंह भूखण्ड पर आये और उन्होंने हरमिन्द्र सिंह को बलपूर्वक चारदीवारी बनाने से रोका और जब हरमिन्द्र सिंह उर्फ हिंडरी नहीं रूका तो उन्होंने हरमिन्द्र सिंह उर्फ हिंडरी को अपने हथियारों से पिटना शुरू कर दिया

और अंततः वह अपनी आत्मरक्षा में अपने घर की तरफ भागा और उक्त तीनों व्यक्ति हरमिन्द्र सिंह का पीछा करते हुए उसके घर में घुस गये। श्रीमती कमलजीत कौर, जो कि हरमिन्द्र सिंह की माता है, भी घर में उपस्थित थी और इस घटना में उसके भी कई चोटें आई। इस घटना के दौरान हरमिन्द्र सिंह उर्फ हिंडरी का रौला सुनकर मानसिंह, भरपूर सिंह पुत्र बलवीर सिंह भी घटनास्थल पर आ गये, उस समय वहां हरमिन्द्र सिंह उर्फ हिंडरी और उसकी माता कमलजीत कौर के अलावा अन्य कोई भी उपस्थित नहीं था और धर्मात्मा सिंह पक्ष ने प्रति-मुकदमें में अन्य व्यक्तियों के नाम गलत लिखे हैं। इस घटना में धर्मात्मा सिंह के भी कुछ चोटें आई, जिसके कारण चिकित्सकीय विधिक रिपोर्ट के अनुसार एक प्रकरण अंतर्गत धारा 323, 324 भारतीय दण्ड संहिता बनना पाया गया और जो चोटें हरमिन्द्र सिंह उर्फ हिंडरी व अन्य के लगी, उनके आधार पर मामला अंतर्गत धारा 323, 324, 326 भारतीय दण्ड संहिता का बनना पाया गया। चूंकि धर्मात्मा सिंह, भूपिन्द्र सिंह और मोहन सिंह ने, जब वे हरमिन्द्र सिंह उर्फ हिंडरी के घर में घुस रहे थे तो उन्होंने हरमिन्द्र सिंह को चोटें कारित की और उक्त हरमिन्द्र सिंह ने अपनी आत्मरक्षा में धर्मात्मा

सिंह व अन्य को कुछ चोटें कारित की और जो कि अपनी आत्मरक्षा की परिभाषा में आयेगा और इसलिए हरमिन्द्र सिंह उर्फ हिंडरी पक्ष के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही/प्रकरण प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है और इसलिए हरमिन्द्र सिंह उर्फ हिंडरी पक्ष के विरूद्ध दर्ज प्रति-मुकदमा खारिज किया जाना चाहिए। और यदि आप श्रीमान् इस रिपोर्ट से सहमत हैं तो कृपया इस संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, लुधियाना को आवश्यक आदेश पारित करें।

एसडी/-

(डी.पी. सिंह)

एस.पी. शहर द्वितीय, लुधियान'

पुलिस अधीक्षक शहर द्वितीय, लुधियाना की रिपोर्ट के उक्त भाग से यह स्पष्ट है कि वे इस मत के थे कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी व अन्य को अपनी आत्मरक्षा में कुछ चोटें कारित की और ऐसी चोटें आत्मरक्षा के अधिकार की परिभाषा में आती हैं और इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चलाई जानी चाहिए और प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध दर्ज केस खारिज किया जाना चाहिए।

5. उप महानिरीक्षक पुलिस, लुधियाना रेंज, जिन्हें उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ने मामला अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, पंजाब,

चंदीगढ को संदर्भित किया और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इस मत के थे कि चूंकि प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रति-मामले में आरोप पत्र पहले ही पेश किए जा चुके हैं, इसलिए इसका निर्णय न्यायालय पर ही छोड़ा जाना चाहिए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का उक्त मत, जो उनके द्वारा उप महानिरीक्षक पुलिस, लुधियाना रेंज, लुधियाना को संसूचित किया गया, वह निम्नानुसार उल्लेखित है:-

> "इस प्रकरण में अच्छी तरह से अनुसंधान के पश्चात्, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध के स्तर पर पहले ही यह निष्कर्ष अभिलिखित किया जा चुका है कि मानसिंह, हरमिन्द्र सिंह पक्ष ने दूसरे पक्ष को चोटें आत्मरक्षा में कारित नहीं की हैं। मुख्य मामले और प्रति-मामले में आरोप पत्र न्यायालय में पहले ही पेश किये जा चुके हैं। अग्रिम अनुसंधान के दौरान कोई नई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आई है। दूसरे शब्दों में, पुलिस अधीक्षक शहर प्रथम, लुधियाना की रिपोर्ट ऐसे किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है जो अपराध शाखा द्वारा जांच किये जाने के समय उपलब्ध ना रहे हों। इसलिए प्रति-मामला खारिज किये जाने योग्य नहीं है। उक्त रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए मामले का निर्णय कोर्ट पर छोड़ा जाना चाहिए।

एसडी/-

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक

अपराध, पंजाब, चंडीगढ़''

6. इससे पहले कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लुधियाना अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विरूद्ध प्रस्तुत मूल आरोप पत्र और अग्रिम अनुसंधान की रिपोर्ट, जिसके द्वारा इनके विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही समाप्त किये जाने की अभिशंषा की गई थी, पर कोई निर्णय लेते, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक विविध याचिका संख्या 10664 एम/2007 अंतर्गत धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 17.02.2007 को डीडीआर नं. 15 दिनांकित 13.12.2004 और उनके विरूद्ध पुलिस द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत आरोप पत्र को खारिज करने हेतु पेश की। अग्रिम अनुसंधान की रिपोर्ट, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व अन्य के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाहियां समाप्त करने की अनुशंषा की गई थी, पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने आक्षेपाधीन आदेश दिनांक 25.03.2008 पारित किया, जिसके द्वारा डीडीआर नं. 15 दिनांकित 13.12.2004 के अनुसरण में संचालित दाण्डिक कार्यवाहियां समाप्त की गई

और यह भी आदेश दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 276 दिनांकित 12.12.2004 के अनुक्रम में, जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा दर्ज करवाई गई थी, अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाहियां इससे प्रभावित नहीं होंगी।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग आपवादिक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय द्वारा अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाहियों को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए था, जबकि अभी तक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतर्गत धारा 190 दण्ड प्रक्रिया संहिता पुलिस द्वारा धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत रिपोर्टों पर अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किया जाना था। उन्होंने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट, जिनके समक्ष अनुसंधान के दौरान एकत्र किया गया संपूर्ण रिकॉर्ड रखा गया था, वे प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के बेहतर विवेचन और यह आदेश कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विरूद्ध डीडीआर नं. 15 दिनांकित 13.12.2004, जो कि अपीलार्थी द्वारा दी गई सूचना पर आधारित थी, पर क्या अपराध का प्रसंज्ञान इनके विरूद्ध लिया जावे, की बेहतर स्थिति में थे। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक शहर द्वितीय, लुधियाना की रिपोर्ट, जिसके द्वारा उनके विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाहियां समाप्त करने की

अनुशंषा की गई थी, का अवलम्ब लिया और उच्च न्यायालय के उनके विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाहियां समाप्त करने के उनके आदेश का समर्थन किया।

8. इस विषय को निर्णित करने के लिए हमें यहां पहले धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंध उल्लेखित कर रहे हैं, जिनके तहत पुलिस द्वारा अनुसंधान और अग्रिम अनुसंधान के बाद रिपोर्ट पेश की जाती है, धारा 190 दण्ड प्रक्रिया संहिता, जिसके तहत मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का प्रसंज्ञान लेता है और धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता, जिसके तहत उच्च न्यायालय दाण्डिक कार्यवाहियों को समाप्त करने में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के ये तीनों प्रावधाना निम्नानुसार हैं -

‘‘173. अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट --(1) इस अध्याय के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलम्ब के बिना पूरा किया जाएगा।

(1क) शिशु के बलात्संग के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से, जिस तारीख को सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा अभिलिखित की गयी थी, तीन मास के भीतर पूरा किया जा सकेगा।

(2);पद्ध जैसे ही वह पूरा होता है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक

अधिकारी, पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकारी द्वारा विहित प्ररूप में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होंगी:-

(क) पक्षकारों के नाम,

(ख) इतिला का स्वरूप,

(ग) मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम,

(घ) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत होता है, तो किसके द्वारा,

(ड) क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है,

(च) क्या वह अपने बन्धपत्र पर छोड़ दिया गया है और यदि छोड़ दिया गया है तो वह बन्धपत्र प्रतिभुओं सहित है या प्रतिभुओं रहित,

(छ) क्या वह धारा 170 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

((ज) क्या महिला के चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट संलग्न की गयी है, जहां अन्वेषण भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, या 376घ के अधीन अपराध से संबंधित है।)

;पपद्ध वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्यवाही की संसूचना, उस व्यक्ति

को, यदि कोई हो, जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इत्तिला दी, उस रीति से देगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) जहां धारा 158 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है, वहां ऐसे किसी मामले में, जिसमें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निदेश देती है, वह रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी और वह, मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक के लिए, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह निदेश दे सकता है कि वह आगे और अन्वेषण करे।

(4) जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बन्धपत्र पर छोड़ दिया गया है तब मजिस्ट्रेट उस बन्धपत्र के उन्मोचन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश करेगा जैसा वह ठीक समझे।

(5) जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है जिसको धारा 170 लागू होती है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्‍्रेट को रिपोर्ट के साथ-साथ निम्नलिखित भी भेजेगा-

(क) वे सब दस्तावेज या उनके सुसंगत उद्धरण, जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है और जो उनसे भिन्न हैं जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है,

(ख) उन सब व्यक्तियों के, जिनकी साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है, धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन।

(6) यदि पुलिस अधिकारी की यह राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई भाग कार्यवाही की विषय-वस्तु से सुसंगत नहीं है या उसे अभियुक्त को प्रकट करना न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और लोकहित के लिए असमीचीन है तो वह कथन के उस भाग को उपदर्शित करेगा और अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि में से उस भाग को निकाल देने के लिए निवेदन करते हुए और ऐसा निवेदन करने के अपने कारणों का कथन करते हुए एक नोट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(7) जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसा करना सुविधापूर्ण समझता है वहां वह उपधारा (5) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को दे सकता है।

(8) इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात् आगे और अन्वेषण को प्रवरित करने वाली नहीं समझी जाएगी तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्टें मजिस्ट्रेट को विहित प्ररूप में भेजेगा, और उपधारा (2) से (6) तक के उपबंध ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के बारे में, जहां तक हो सके, ऐसे लागू

होंगे, जैसे वे उपधारा (2) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं।

190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान- (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा (2) के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है:-

(क) उन तथ्यों का, जिनसे ऐसा अपराध बनता है, परिवाद प्राप्त होने पर,

(ख) ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर,

(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इतिला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का, जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अन्दर है, उपधारा (1) के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है।

482. उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृति- इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरूपयोग निवारित करने के लिए या किसी

अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

9.धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता का खण्ड 2 यह उपबंधित करता है कि जैसे ही अनुसंधान पूर्ण होगा, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इसकी रिपोर्ट ऐसे अपराध पर प्रसंज्ञान लेने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट को इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत की जावेगी कि क्या कोई अपराध कारित किया गया है और यदि किया गया है तो किसके द्वारा। धारा 173 का खण्ड 8 यह उपबंधित करता है कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, जो अग्रिम साक्ष्य मौखिक या दस्तावेजी प्राप्त करता है, वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अग्रिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट के संबंध में धारा 173 खण्ड 2 के प्रावधान उसी अनुसार लागू होंगे, जैसे खण्ड 2 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं। इसलिए धारा 173 के खण्ड 2 के तहत प्रारम्भिक अनुसंधान के पश्चात् रिपोर्ट और धारा 173 खण्ड 8 के तहत अग्रिम अनुसंधान के पश्चात् रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट की श्रेणी के अर्थाेें की ही होंगी और जिन्हें ऐसे अपराध का प्रसंज्ञान लेने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। धारा 190 खण्ड-बी दण्ड प्रक्रिया संहिता से यह स्पष्ट है कि वह मजिस्ट्रेट ही है, जो ऐसी पुलिस रिपोर्ट, जिसके तथ्य किसी अपराध का गठन करते हैं पर प्रसंज्ञान लेने हेतु सशक्त है। इसलिए जब धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के खण्ड 2 या खण्ड 8 के

तहत कोई पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जाती है वहां मजिस्ट्रेट ऐसी पुलिस रिपोर्ट पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर यह मत लेगा कि क्या किसी अभियुक्त के विरूद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाये या नहीं।

10. यह इस प्रकार है कि जहां धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के खण्ड 2 के तहत मजिस्ट्रेट को यह व्यक्त करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, लेकिन अग्रिम अनुसंधान के बाद धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के खण्ड 8 के तहत अग्रिम रिपोर्ट में यह व्यक्त किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध नहीं किया है, वहां यह मजिस्ट्रेट पर है कि वह प्रकरण के दिये गये तथ्यों, जो दो रिपोर्टों से बनते हैं, के आधार पर यह मत बनाये कि क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाना बनता है। यह विवेचन इस न्यायालय द्वारा अभिनन्दन झा व अन्य बनाम दिनेश मिश्रा (एआईआर 1968, सुप्रीम कोर्ट 117) में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 173 और 190 के संबंध में दिया, जो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में भी समान ही है। अभिनंदन झा (सुपरा) के मामले में पैरा संख्या 15, पृष्ठ संख्या 122 पर इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया''

''पुलिस अनुसंधान के पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत कर सकती है या अंतिम प्रतिवेदन, जो कि उनके द्वारा किये गये अग्रिम अनुसंधान पर आधारित होगा। यदि अंत में अंतिम रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर

मजिस्ट्रेट इस राय का है कि इन तथ्यों से किसी अपराध का गठन होता है तो वह पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में किसी बात के होते हुये भी धारा 190 (1)(बी) के तहत अपराध का प्रसंज्ञान ले सकता है।''

11. अभिनन्दन झा के मामले में उक्त विधि प्रतिपादित करने के बाद इस न्यायालय द्वारा श्रीमती रूपन देओल बजाज व अन्य बनाम कंवरपाल सिंह गिल व अन्य (एआईआर 1996 एससी 309) में यह अभिनिर्धारित किया कि जहां पुलिस अपने अनुसंधान की रिपोर्ट या अग्रिम अनुसंधान की रिपोर्ट में अभियुक्त के उन्मोचन की अनुशंषा करती है, लेकिन परिवादी न्यायालय को इस बात पर संतुष्ट करता है कि प्रसंज्ञान लेने योग्य मामला बनता है, वहां न्यायालय परिवादी की ऐसी आपत्तियों पर अनिवार्यतः विचार करेगा और यदि वह ऐसी आपत्तियों को खारिज करता है, तो इसके लिए परिवादी की आपत्तियों को खारिज करने संबंधी कारणों को अभिलिखित किया जाना न्यायसंगत एवं उचित होगा और यह आवश्यक है क्योंकि धारा 190 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय जब शक्तियों प्रसंज्ञान लेने या नहीं लेने बाबत् प्रयोग करता है वहां वह अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करता है।

12. इस मामले के तथ्यानुसार पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लुधियाना को दिनांक 02.02.2006 को अपनी रिपोर्ट में दो आरोप पत्र प्रस्तुत किए, एक अपीलार्थी, उसके पिता मोहनसिंह और भूपिन्द्र सिंह

के विरूद्ध यह कहते हुए कि इन्होंने अंतर्गत धारा 452, 323, 326, 506 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध कारित किया है और दूसरा आरोप पत्र प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 व अन्य के विरूद्ध यह कहते हुए कि इन्होंने अंतर्गत धारा 342, 323, 324, 148 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध किया है। दिनांक 27.07.2006 को विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा अग्रिम अनुसंधान की दी गई अनुमति के अनुसरण में पुलिस अधीक्षक शहर द्वितीय, लुधियाना द्वारा एक अग्रिम रिपोर्ट तैयार कर यह कहते हुए प्रस्तुत की गई कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी आत्मरक्षा में अपीलार्थी और अन्य के चोटें कारित की हैं और इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रति-मामला खारिज किया जाना चाहिए। यह अग्रिम रिपोर्ट विद्वान मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनंदन झा और श्रीमती रूपन देओल बजाज के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि यह विद्वान मजिस्ट्रेट के लिए है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के खण्ड 2 और खण्ड 8 के तहत प्रस्तुत प्रतिवेदनों के तथ्यों पर, परिवादी, अपीलार्थी की आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करते हुए अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करे और यह मत बनाये कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाये या नहीं।

13. धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता उच्च न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने को अंतर्निहित शक्तियां प्रदत्त करती है जो इस संहिता के

अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के लिए या अन्यथा न्याय की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

इस न्यायालय द्वारा आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1960 सुप्रीम कोर्ट 866 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 561ए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (जो 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुरूप है) उच्च न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने को अंतर्निहित शक्तियां प्रदत्त करती है जो इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के लिए या अन्यथा न्याय की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो और ऐसी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामलों के संबंध में नहीं किया जा सकता, जो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्य उपबंधों से आच्छादित होते हों और इसलिए जहां मजिस्ट्रेट ने धारा 190 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपने मस्तिष्क का प्रयोग प्रतिवेदन के गुणावगुण पर करते हुये आदेश पारित नहीं किया हो, वहां उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाहियों को समाप्त करने का निवेदन विचारित नहीं करना चाहिए। आर.पी. कपूर के मामले में दिनांक 10.12.1958 को एम.एल. सेट्ठी ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट आर.पी. कपूर के विरूद्ध दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि उसने और उसकी सास ने धारा 420-109, 114 और 120बी भारतीय दण्ड संहिता के

तहत अपराध किया है। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट से प्रारम्भ हुई कार्यवाहियों को खारिज करवाये जाने हेतु आर.पी. कपूर अंतर्गत धारा 561ए दण्ड प्रक्रिया संहिता पंजाब उच्च न्यायालय गये। जब आर.पी. कपूर की याचिका उच्च न्यायालय में लम्बित थी, तब अंतर्गत धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अंतर्गत धारा 561ए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 कार्यवाहियों को समाप्त करने का कोई मामला नहीं बनता है और याचिका खारिज की। आर.पी. कपूर ने विशेष अनुमति से इसके विरूद्ध इस न्यायालय में एक अपील प्रस्तुत की और इस न्यायालय द्वारा अपील को निम्न आधारों पर खारिज किया गया:-

“...इस मामले में मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष धारा 173 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ने इस रिपोर्ट के गुणावगुण पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग अभी तक नहीं किया है और अपीलार्थी के पक्ष में यह माना जाता है कि उसकी कार्यवाहियां समाप्त करने की प्रार्थना इस संहिता के किसी विशिष्ट प्रावधान से आच्छादित नहीं होती हैं। यह सुस्थापित है कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित मामले में न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए या न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। साधारणतः किसी व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित दाण्डिक कार्यवाहियां इस संहिता के प्रावधानों के

अंतर्गत ही विचारित की जानी चाहिए, और उच्च न्यायालय को अंतर्वती स्तर पर ऐसी कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक होना चाहिए...''

जैसा कि इस मामले में हमने पाया है कि धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रतिवेदनों के गुणावगुण पर मजिस्ट्रेट ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है, हम इस विचारित मत के हैं कि धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अपनी शक्तियों का अंतर्वती स्तर पर प्रयोग किया गया है और जो कि इस प्रकरण के तथ्यानुसार वांछित नहीं था।

14. परिणामतः अपील स्वीकार की जाती है और आक्षेपाधीन आदेश दिनांक 25.03.2008 अपास्त किया जाता है। पुलिस, पुलिस अधीक्षक शहर द्वितीय, लुधियाना की अग्रिम रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगी और विद्वान मजिस्ट्रेट पूर्व में अग्रेषित किये जा चुके पुलिस प्रतिवेदन और अग्रिम अनुसंधान के अंतिम प्रतिवेदन, जो उसे अग्रेषित किया गया है, पर विधि के अनुसार अग्रिम अनुसंधान की अग्रिम रिपोर्ट पर अपीलार्थी की आपत्तियों, यदि कोई हों, को विचारित करते हुए अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर अंतिम निर्णय पारित करे।

एन.जे.

अपील स्वीकार की।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल श्सुवासश् की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजय कुमार पूनिया; आरजेएस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।